निष्कर्ष

भारत में अब तक आर्थिक विकास एवं रोज़गार में जो भी वृद्धि हुई है, चाहे वह दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन या कौशल-निर्माण हो, उसकी न्यूनतम योग्यता माध्यमिक शिक्षा ही रही है। यद्यपि प्रारंभिक शिक्षा वास्तव में सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन यह आर्थिक विकास में उतनी सहायक नहीं हो सकती, बल्कि एक कुशल कार्यबल जनसंख्या के लिए कम से कम माध्यमिक शिक्षा आवश्यक है। 'बिहार राज्य बच्चों की मुफ़्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011' के लागू होने के बाद प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2013 – 14 की अपेक्षा वर्ष 2016 – 17 में माध्यमिक शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई है। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर की भाँति उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर भी सकल नामांकन अनुपात में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2013 – 14 की अपेक्षा वर्ष 2016 – 17 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात तीन गुना हो गया है। यद्यपि बिहार में प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात में औसतन उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात के मध्य अंतर लगातार बना रहा है और यह अंतर यथावत बना हुआ है।

शैक्षणिक वर्ष 2016 – 17 में, बिहार में प्रारंभिक शिक्षा स्तर (कक्षा 1 – 8) पर सकल नामांकन अनुपात (99.87 प्रतिशत) भारत के सकल नामांकन अनुपात (93.55 प्रतिशत) से 6.32 प्रतिशत ज़्यादा रहा है, परंतु बिहार में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर (कक्षा 11 – 12) पर सकल नामांकन अनुपात (28.82 प्रतिशत) भारत के सकल नामांकन अनुपात (55.54 प्रतिशत) से 26.72 प्रतिशत कम रहा है।

बिहार में प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1 – 8) के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा स्तर (कक्षा 9) पर नामांकन में उत्तरोत्तर गिरावट हो रही है और यह गिरावट वर्ष 2016 – 17 में और अधिक (25.49 प्रतिशत) रही है। प्रारंभिक स्तर की तुलना में माध्यमिक स्तर पर नामांकन में गिरावट दर में वृद्धि की एक वजह यह हो सकती है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के लागू होने के बाद प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन के लिए सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों की अधिकता रही है, परंतु यही सक्रियता माध्यमिक कक्षाओं में नामांकन के संदर्भ में दिखाई नहीं देती है। इसके अतिरिक्त ज़्यादा महत्वूर्ण कारण, प्रारंभिक शिक्षा का निःशुल्क होना है। एक ओर जहाँ प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क है, वहीं माध्यमिक शिक्षा के लिए अभिभावक व माता-पिता को काफ़ी व्यय करना पड़ता है। शिक्षा की लागत (वास्तविक और अवसर लागत दोनों) में वृद्धि माध्यमिक कक्षाओं में कम नामांकन दर के लिए एक ज़िम्मेदार कारक है। जैसे-जैसे हम ऊपरी कक्षाओं में नामांकन दर को देखते हैं, यह प्रारंभिक कक्षाओं की तुलना में लगातार कम होती जाती है। ऊपरी कक्षाओं में नामांकन दर में गिरावट की प्रवृत्ति बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में बहुत अधिक है। कक्षा 9 के पश्चात् कक्षा 11 में, नामांकन में गिरावट वर्ष 2014 – 15 एवं 2015 – 16 की तुलना में वर्ष 2016 – 17 में अधिक रही है और यह गिरावट बालकों के अपेक्षाकृत बालिकाओं के नामांकन दर में अधिक रही है। यह माता-पिता द्वारा बालिकाओं की शिक्षा पर कम खर्च करने की प्रवृत्ति को दर्शाता

© NCERT not to be republished

है और यह केवल बिहार के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि कुछ अपवादों को छोड़कर समस्त भारत में यही प्रवृत्ति पाई जाती है।

नामांकन के उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि अंतरराज्यीय स्तर पर बिहार में माध्यमिक शिक्षा स्तर (कक्षा 9 – 10) पर नामांकन निम्न है एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर (कक्षा 11 – 12) पर नामांकन की स्थिति अधिक दयनीय है। अतः बिहार में माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नामांकन दर इतनी चिंताजनक क्यों है? प्रारंभिक शिक्षा स्तर के बाद माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नामांकन में तीव्र गिरावट के क्या कारण हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिसका उत्तर ढूँढ़ा जाना चाहिए।

संदर्भ

असर. 2017. बियांड बेसिक. 12 फ़रवरी, 2018 को http://www.asercentre.org/Keywords/p/315.html से लिया गया है.

न्यूपा. 2016. यू-डायस डाटा. *स्कूल एजुकेशन इन इंडिया*. 20 नवंबर, 2017 को http://udise.in/src.htm से लिया गया है.

बेदी, ए.एस., पी.के. किमल, डी.के. मांदा. और नफुला एन.एन. 2004. द डिक्लाइन इन प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट इन केन्या. *जर्नल ऑफ़ अफ्रीका इकोनोमिक्स*. वॉल्यूम 13, नं. 1, पृष्ठ 1– 43.

भारत सरकार, 2009. *निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009*. भारत का राजपत्र. संख्या-39, अगस्त 27, 2009, नयी दिल्ली.

———. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (एकीकृत). http://mhrd.gov.in/hi/rmsa_integrated-hindi से लिया गया है.

———. *सेलेक्टेड इंफ़ोर्मेशन ऑफ़ स्कूल एजुकेशन 2011 – 12*. स्टैटिस्टिक्स डिविज़न. भारत सरकार. 12 नवंबर, 2017 को http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics/SISH201112.pdf से लिया गया है.

———. 2011. *जनगणना*. 12 अक्तूबर, 2018 को http://censusindia.gov.in/ से लिया गया है.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. *एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस*. डिपार्टमेंट ऑफ़ हायर एजुकेशन, स्टैटिस्टिक्स डिविज़न, भारत सरकार. 10 अगस्त, 2017 को http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics/ESG2016_0.pdf से लिया गया है.

यूनेस्को. 2015. *सभी के लिए शिक्षा 2000 – 2015— उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ*. 20 दिसंबर, 2017 को http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232565hin.pdf से लिया गया है.

———. *ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट*. 20 दिसंबर, 2017 को http://en.unesco.org/gem-report/allreports से लिया गया है.

बिहार सरकार. 2016. *प्रतिवेदन 2016–17*. पृष्ठ 30–32. http://www.educationbihar.gov.in/ से लिया गया है.

© NCERT not to be republished

भारतीय समाज में तृतीय जेंडर एवं समावेशी शिक्षा

वंदना शर्मा*
हरीश पाण्डेय**

भारतीय संविधान में शिक्षा के सार्वभौमीकरण व समावेशीकरण यानी बिना किसी जातीय, वर्गीय, जेंडर या शारीरिक भेदभाव के सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। शिक्षा की पहुँच सभी लोगों तक सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा संबंधी नीतियाँ बनाई गई हैं एवं कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं। शिक्षा का अधिकार एक सार्वभौमिक मानवीय अधिकार है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अनुसूचित जातियों, दिव्यांगों, स्त्रियों, सभी वंचित समूहों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए शिक्षा में इनका समावेशन करने का प्रयास किया गया है व किया जा रहा है। परंतु समाज का एक समूह ऐसा भी है जिसे हमेशा से ही उपेक्षित समझा गया है। विगत कुछ वर्षों से इस समूह के लोगों ने भी अपने अधिकारों की माँग उठाई है तथा एक लंबे संघर्ष के बाद भारत में 15 अप्रैल, 2014 को उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस समूह के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया व 'ट्रांसजेंडर्स' को तृतीय जेंडर के रूप में पहचान दी गई। इसी सरोकार पर आधारित इस लेख में भारतीय समाज में तृतीय जेंडर की शिक्षा में, समावेशीकरण में आने वाली समस्याओं की चर्चा की गई है व उनके समाधान के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं।

जब हम ट्रांसजेंडर, हिजड़ा, किन्नर आदि ऐसे शब्द सुनते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में क्या छवि बनती है? हमें जो छवि दिखाई देती है, वह एक ऐसे समूह के लोगों की होती है जो साड़ियाँ पहने हुए किसी शादी या बच्चे के जन्म पर बधाई गीत गाते, तालियाँ बजाकर नाचते या बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशनों पर पैसे माँगते हैं। वास्तव में, हमारे समाज में ऐसी छवि के लोग हैं, परंतु इससे इतर वर्तमान समय में कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर, जैसे— मानबी बंदोपाध्याय (भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर कॉलेज प्रिंसिपल), शबनम बानो 'मौसी' (मध्य प्रदेश विधानसभा की चयनित सदस्य), लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी (हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री और भरतनाट्य नृत्यांगना), कल्कि (सहोदरी फ़ाउंडेशन की संस्थापिका व निर्देशक) इत्यादि ने तृतीय जेंडर की उपर्युक्त छवि के विपरीत ट्रांसजेंडर के विकास की एक नई उज्ज्वल छवि को पुनरुत्पादित किया है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम आदि सभी लोगों को शिक्षा देकर समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। परंतु तृतीय जेंडर के व्यक्ति, जिनकी क्षमता अन्य सामान्य स्त्री-पुरुषों की भाँति ही है, प्रायः शिक्षा से वंचित हैं।

**शोधार्थी*, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 221005
***शोधार्थी*, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 221005

© NCERT not to be republished

मानवाधिकार के अनुच्छेद (26) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान ऐसी व्यवस्था को जन्म देगा जिसमें सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। संविधान सभी व्यक्तियों को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रदान करेगा। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(अ) एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार, 6–14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। सभी केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में कम से कम 25 प्रतिशत वंचित और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों के बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य है। लेकिन इन अधिकारों का लाभ तृतीय जेंडर को नहीं मिल रहा है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय व आदेश के बाद भी तृतीय जेंडर समाज की मुख्यधारा से दूर है। भारत में शिक्षा को समावेशी बनाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु जब तक हमारे समाज का कोई एक हिस्सा भी शिक्षा से वंचित रहेगा, तब तक समावेशी शिक्षा संभव नहीं है। इनके समावेशन के लिए इनकी समस्याओं को जानना व उनका समाधान करना आवश्यक है। तृतीय जेंडर के व्यक्तियों की समस्याओं के बारे में चर्चा करने से पहले समावेशी शिक्षा व तृतीय जेंडर को परिभाषित किया गया है, जो निम्न प्रकार है—

समावेशी शिक्षा

समावेशी शिक्षा का अर्थ उन सभी बच्चों के लिए शिक्षा से है जो विभिन्नता रखते हों (जिसमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल हों) तथा ऐसे बच्चों को एक छत के नीचे शिक्षा की व्यवस्था करने के साथ ही उन बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाना है—

- जिनके लिए स्कूल दूर हो या जो स्कूल छोड़ चुके हों, जो कक्षा की भाषा न बोल पा रहे हों, जिन्हें मिलने वाली पाठ्य सामग्री उनकी प्रथम भाषा में न हो।
- जो विभिन्न समुदाय/धर्म जाति के हों।
- जो जीवनयापन के पर्याप्त साधन न होने के कारण स्कूल छोड़ देने के स्तर पर हों।
- उन बच्चों की भी उपलब्धता सुनिश्चित करना जो विद्यालय में नामांकित तो हों, पर स्कूल में उपस्थित न हों अर्थात् स्कूल के समय में रोज़गार में व्यस्त हों।
- समस्त वर्गों, स्त्री/पुरुष/तृतीय जेंडर की एक साथ शिक्षा व्यवस्था।
- उन महिलाओं को भी समावेशित करना जो गर्भवती हों, जिनके साथ कोई असामाजिक दुर्घटना हुई हो (जैसे— एसिड अटैक, यौन हिंसा इत्यादि) और वो शिक्षा की मुख्यधारा में आने से स्वयं कतराती हों।
- उन बच्चों को भी साथ लाना जो विभिन्न बीमारियों, जैसे— एड्स/एचआईवी/पोलियो इत्यादि से ग्रसित हों।

अंततः ऐसा माहौल विकसित करना जहाँ समस्त प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ सकें, पढ़ना चाहें और स्वयं समावेशित होने का अनुभव कर सकें।

तृतीय जेंडर

तृतीय जेंडर से आशय उन लोगों से है जिनका जेंडर जन्म के समय चिह्नित जेंडर से भिन्न हो। इसके

© NCERT not to be republished

अंतर्गत ट्रांसजेंडर, ट्रांस-मेन, ट्रांस-वीमेन, हिजड़ा, किन्नर इत्यादि आते हैं (चंद्र, 2017, पृष्ठ 878)।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समस्याएँ

प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक, आर्थिक उन्नति चाहता है और यह तभी संभव हो सकता है जब उसे शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएँ। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अस्तित्व प्रत्येक संस्कृति, नस्ल व वर्ग में तब से है जब से मानव जीवन है, परंतु हमारे समाज में हमेशा स्त्री व पुरुष इन्हीं दो जेंडरों की बात की जाती है। हमारा समाज दुनिया को 'ड्युअल जेंडर मॉडल' के रूप में ही देखता है। मई 2014 को प्रसारित सरकारी आँकड़ों के अनुसार, भारत में तृतीय जेंडर के लोगों की संख्या 4.9 लाख है, परंतु इनके लिए कार्य करने वाली संस्थाओं (जैसे— सहोदरी व नाज़ फ़ाउंडेशन) के अनुसार यह संख्या इससे छह–सात गुना अधिक है, क्योंकि समाज के उपेक्षित व्यवहार की वजह से ये अपनी पहचान छुपाकर रखते हैं (*टाइम्स ऑफ़ इंडिया*, 30 मई, 2014)। जनगणना 2011 के आँकड़े के अनुसार, भारत की साक्षरता दर 74 प्रतिशत है तथा पुरुषों की साक्षरता दर 80 प्रतिशत से अधिक व स्त्रियों की साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत, परंतु ट्रांसजेंडर्स की साक्षरता दर मात्र 46 प्रतिशत है। शिक्षा संस्थानों में इनकी संख्या इकाइयों में भी नहीं है। प्रस्तुत आँकड़े यह दर्शाते हैं कि ट्रांसजेंडर्स की शैक्षिक भागीदारी अन्य जेंडर से बहुत ही कम है। जिस प्रकार से स्त्री व पुरुष की शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक स्तर पर बहुत-सी समस्याएँ हैं, उसी प्रकार से ट्रांसजेंडर्स की भी अपनी विशेष समस्याएँ एवं आवश्यकताएँ हैं।

परिवार

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी., 2017) द्वारा तृतीय जेंडर पर कराए गए एक अध्ययन के अनुसार इनके साथ भेदभाव बचपन से ही शुरू हो जाता है। परिवार में भी माता-पिता व अन्य सदस्यों द्वारा मौखिक व शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। पहले तो ट्रांसजेंडर बच्चों को यह समझने में कई साल लग जाते हैं कि वे अन्य लड़की या लड़के से अलग हैं और फिर वे इस बात को जब तक संभव हो, तब तक छुपाकर रखते हैं, परंतु जब वे अपने परिवार को इस बारे में बताते हैं तो उनके साथ गलत व्यवहार किया जाने लगता है। अधिकतर परिवार ट्रांसजेंडर होने के कारण अपने बच्चों को छोड़ देते हैं और यदि वे ऐसे बच्चों को अपने साथ रखते भी हैं तो उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा व्यवहार वे अपने अन्य बच्चों अर्थात् लड़के व लड़की के साथ करते हैं।

विद्यालय व शिक्षा व्यवस्था

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विद्यालय सार्वजनिक क्षेत्र का पहला स्तर है जहाँ उन्हें व्यक्तिगत असुरक्षा का अनुभव होता है। विद्यालय में शिक्षकों व सहपाठियों द्वारा ट्रांसजेंडर्स की पिटाई की जाती है तथा उनका यौन शोषण भी किया जाता है। एन.एच.आर.सी. के अनुसार, 52 प्रतिशत ट्रांसजेंडर सहपाठियों द्वारा तथा 15 प्रतिशत शिक्षकों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, जिस कारण ट्रांसजेंडर्स को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। कई बार ये शोषण आत्महत्या का भी कारण बन जाते हैं। विद्यालयों में इनके लिए अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं होती, जिस

© NCERT not to be republished

कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों में कहीं भी इनका प्रतिनिधित्व नहीं है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में केवल स्त्री व पुरुष की बात की जाती है, जबकि इनसे इतर और भी जेंडर हैं, लेकिन उनके बारे में विद्यार्थियों को कोई जानकारी नहीं दी जाती। जानकारी के अभाव में अन्य जेंडर के विद्यार्थियों का ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के प्रति असंवेदनशील होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विद्यालयों में आने पर ये वहाँ खुद को समाज से अलग ही पाते हैं तथा समायोजित नहीं हो पाते हैं। मानबी बंदोपाध्याय पहली ट्रांसजेंडर हैं जो किसी शैक्षिक संस्थान में प्रिंसिपल बनीं, परंतु बाद में विद्यार्थियों व सहकर्मियों के असहयोग और विरोध के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। शैक्षणिक संस्थानों में अस्वीकार्यता, भेदभाव व शोषण के कारण इस समुदाय के लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते और बिना शिक्षा के इन्हें समाज की मुख्यधारा में लाना कैसे संभव हो पाएगा?

क्षमता व अवसर

आज कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्होंने कई प्रमुख क्षेत्रों में प्रथम ट्रांसजेंडर के रूप में कार्य करने का गौरव प्राप्त किया है तथा इस समुदाय के लिए एक प्रेरणा हैं, जैसे— सत्य शर्मीला (ट्रांसजेंडर वकील), जोयिता मंडल (ट्रांसजेंडर जज), पृथिका यशिनी (सब-इंस्पेक्टर), मानबी बंदोपाध्याय (महाविद्यालय प्रधानाचार्य), शबनम 'मौसी' (विधायक) इत्यादि (*इंडिया टुडे*, 4 जुलाई, 2018)। एक लंबे संघर्ष और अपने कार्यक्षेत्रों में भेदभाव तथा शोषण का सामना करने के बाद परंपरागत छवि से हटकर इन्होंने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। ऐसा नहीं है कि तृतीय जेंडर की क्षमता स्त्रियों व पुरुषों की तुलना में कम है। उन्हें शिक्षा व रोज़गार में अवसर नहीं मिले, इसलिए उन्हें नाच-गाकर लोगों से पैसे माँगकर अपना जीवनयापन करना पड़ता है। क्षमता होते हुए भी उन्हें अवसर न मिलना विशेष समस्या है।

नीतियाँ तथा कानून

लोकसभा में 22 जुलाई, 2016 को ट्रांसजेंडर पर्संस बिल (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स) पारित हुआ। परंतु इसमें बहुत-सी कमियाँ थीं तथा ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा इसका काफ़ी विरोध किया गया। 27 संशोधनों के पश्चात् पुनः 2018 में यह बिल पास हुआ, परंतु इतने संशोधनों के बाद भी इसमें कमियाँ रहीं और इसका पुनः विरोध हुआ। उच्चतम न्यायालय ने 2014 में अपने निर्णय में कहा था कि तृतीय जेंडर को स्वयं की पहचान स्त्री, पुरुष या तृतीय जेंडर के रूप में चुनने का अधिकार है, परंतु वर्तमान बिल में उन्हें पहचान पत्र देने के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी के गठन की बात की गई है, जिसका इस समुदाय द्वारा विरोध किया जा रहा है (सिन्हा, 2018)। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया था कि पिछड़े समूहों की भाँति इन्हें भी शिक्षा व रोज़गार में आरक्षण दिया जाए। वर्तमान बिल में इनकी शिक्षा व रोज़गार की बात तो की गई है, परंतु शिक्षा तक इनकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष कानूनी प्रावधान या आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। इनके खिलाफ़ हुई हिंसा के लिए सज़ा का प्रावधान भी अपेक्षाकृत बहुत कम है। हमारे देश में तृतीय जेंडर को समाज की मुख्यधारा में लाने के

© NCERT not to be republished

लिए काम किया जा रहा है जिसका एक उदाहरण यह बिल है। परंतु ट्रांसजेंडर समुदाय की विविधता के बारे में जागरूकता व ज्ञान के अभाव में सही नीतियाँ बनाना संभव नहीं है। अतः आवश्यकता है कि इस समुदाय की विविधता व समस्याओं के आधार पर नीतियों व कानूनों की व्यवस्था की जाए।

ट्रांसजेंडर समुदाय

इस समुदाय के सभी लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। समाज के उपेक्षित व्यवहार के कारण इन लोगों ने अपनी एक अलग दुनिया बना रखी है तथा ये अपने जैसे बच्चों को ज़बरदस्ती उनके परिवार से अलग कर अपने समुदाय में ले आते हैं। इनका खुद का समुदाय भी समाज के उपेक्षित व्यवहार के कारण ट्रांसजेंडर की शिक्षा में बाधा बना हुआ है।

तृतीय जेंडर हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम

ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्यधारा में लाने व इन्हें सशक्त बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं —

- सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 अप्रैल, 2014 को दिया गया फ़ैसला ट्रांसजेंडर समुदाय के हित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से एक ओर जहाँ इन्हें तृतीय जेंडर के रूप में अपनी पहचान बताने का अधिकार मिला, वहीं केंद्र व राज्य सरकारों को शिक्षा व रोज़गार में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय के समान ही इन्हें भी आरक्षण व सुविधाएँ देने का आदेश मिला।
- यू.जी.सी. ने 23 जुलाई, 2014 को प्रकाशित अपने एक नोटिस में ट्रांसजेंडर्स को तृतीय जेंडर के रूप में यू.जी.सी. की सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों में समावेशित करने की बात की थी तथा यू.जी.सी. ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को तृतीय जेंडर के लिए शैक्षिक वातावरण निर्मित करने के लिए पत्र लिखा। जिसमें यू.जी.सी. ने सभी आवेदन प्रपत्रों व दस्तावेज़ों में जेंडर श्रेणी में तृतीय जेंडर का कॉलम भी सम्मिलित करने को कहा ताकि बिना किसी डर व शर्म के ये शिक्षा ग्रहण कर पाएँ, इसलिए इनके लिए अलग शौचालयों व आरामगृहों का निर्माण करने व जेंडर संवेदी कार्यक्रम चलाने की भी बात कही (*टाइम्स ऑफ़ इंडिया*, 15 फ़रवरी, 2015)।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप, 2019 में, "ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा" नामक शीर्षक के अंतर्गत शिक्षा में इनके समावेशन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की बात कही गई है जिसके अंतर्गत ट्रांसजेंडर बच्चों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, स्कूल में इनके अनुकूल व सुरक्षित वातावरण बनाना, पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या में इनका समावेशन करना इत्यादि बातें रखी गई हैं।
- लोकसभा में 22 जुलाई, 2016 को ट्रांसजेंडर पर्संस बिल (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स) पारित हुआ तथा 27 संशोधनों के पश्चात् यह बिल पुनः 2018 में पास हुआ। अब 19 जुलाई, 2019 को द ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स

© NCERT not to be republished

बिल, 2019 लोकसभा में पारित किया गया तथा 5 अगस्त, 2019 को यह बिल पास हो गया। इस बिल में ट्रांसजेंडर के खिलाफ़ अपराध करने वालों के लिए दंड का प्रावधान है। इस विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान प्रमाणपत्र जारी करने के अलावा शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य सुविधाओं, प्रॉपर्टी व घर से संबंधित अधिकार तथा अन्य मुद्दों में किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करने पर ज़ोर दिया गया है।

- केरल में छह ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं द्वारा पहले ट्रांसजेंडर स्कूल 'सहज इंटरनेशनल' की शुरुआत की गई जिसका मुख्य उद्देश्य उन वयस्क तृतीय जेंडर को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है जिन्होंने कम उम्र में स्कूल छोड़ दिया था (कृष्णन, 2017)। यह भारत में इस तरह का पहला स्कूल है जो तृतीय जेंडर को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत लाने का कार्य करेगा। पिछले कुछ वर्षों में केरल राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जैसे— ट्रांसजेंडर पॉलिसी 2015, तृतीय जेंडर के लिए पेंशन योजना, केरल स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा पहली बार तृतीय जेंडर के लिए 'स्पोर्ट्स मीट' का आयोजन, कोच्चि मेट्रो द्वारा 23 ट्रांसजेंडर को नौकरी इत्यादि।
- तमिलनाडु देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ की सरकार ने तृतीय जेंडर के लिए 2008 में "ट्रांसजेंडर वेलफेयर पॉलिसी" बनाई जिसके अंतर्गत फ्री हाउसिंग प्रोग्राम, विभिन्न नागरिक प्रपत्र, उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति के साथ प्रवेश, जीवनयापन के वैकल्पिक साधन इत्यादि मुहैया कराने की बात की थी।

केंद्र व राज्य सरकारों, सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के हित में बहुत-से कदम उठाए गए। परंतु अभी भी यह समुदाय समाज की मुख्यधारा से अलग है तथा अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में इनका समावेशन नहीं हो पाया है। इसका मुख्य कारण लोगों की इनके प्रति नकारात्मक मानसिकता, सरकार द्वारा बनाए गए व निर्देशित किए गए नियमों का सुचारू रूप से पालन न होना इत्यादि है।

समाधान हेतु सुझाव

शिक्षा में तृतीय जेंडर के व्यक्तियों के समावेशन हेतु तथा इनकी स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक है कि इनके अंदर व समाज के अन्य लोगों में इनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाए। इनकी शिक्षा के लिए राज्य व केंद्र सरकारों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए—

- विद्यालयों, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में इनके प्रवेश को सुनिश्चित करने हेतु कानूनी प्रावधान किए जाने चाहिए।
- पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों में तृतीय जेंडर का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि विद्यालय में आने पर वे खुद को समाज से अलग न पाएँ।
- विद्यालयों में इनके लिए भी अलग शौचालयों की व्यवस्था की जाए।
- सामान्य विद्यालयों में अन्य विद्यार्थियों के साथ ही इन्हें भी पढ़ाया जाना चाहिए। इनके लिए

© NCERT not to be republished

अलग विद्यालयों या कक्षाओं की व्यवस्था करने का मतलब है— समाज की मुख्यधारा से इन्हें अलग ही रखना।

- विद्यालयों में इनके साथ भेदभाव व शोषण न हो, इसके लिए नियम बनाए जाएँ व उनका कड़ाई से पालन किया जाए।
- शिक्षित ट्रांसजेंडर्स को विद्यालयों में शिक्षण का अवसर दिया जाए जिससे विद्यार्थियों में उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो तथा विद्यालय में आने वाले ट्रांसजेंडर विद्यार्थी उनसे प्रेरित हों व आसानी से स्वयं को अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ समायोजित कर पाएँ।
- जैसा कि यू.जी.सी. ने कहा है कि विद्यार्थियों, शिक्षकों, गैर-शिक्षक कर्मचारियों तथा ट्रांसजेंडर के अभिभावकों को जागरूक करने के लिए जेंडर संवेदी कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।
- शिक्षा व्यवस्था में स्त्री शिक्षा की भाँति ही ट्रांसजेंडर शिक्षा का भी समावेश होना चाहिए।
- शिक्षण सत्र के दौरान समय-समय पर तृतीय जेंडर के लिए निर्देशन एवं परामर्श के प्रोग्राम कराए जाने चाहिए।
- जिस प्रकार कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में लड़के व लड़कियों की समस्याओं के समाधान हेतु समिति बनी होती है, उसी प्रकार तृतीय जेंडर के लिए भी समिति बनाई जाए। जहाँ ये शिक्षा परिसर में होने वाले अपराधों की शिकायत दर्ज करा सकें।
- सबसे आवश्यक है हमें इनके प्रति अपने नज़रिये को बदलना होगा। इन्हें एक व्यक्ति के रूप में सम्मान देना होगा और संवेदनशील होना होगा तभी ये शिक्षा प्राप्त कर अपनी स्थिति में सुधार कर पाएँगे।

निष्कर्ष

शिक्षा व रोज़गार में अवसर उपलब्ध न होने पर ट्रांसजेंडर्स नाच-गाकर व लोगों से पैसे माँगकर अपना जीवनयापन करते हैं। समाज व देश के आर्थिक विकास में इनका कोई योगदान नहीं होता है। अगर ट्रांसजेंडर्स को भी शिक्षा दी जाए तो इनका भी सर्वांगीण विकास होगा तथा ये देश की उन्नति में भागीदार हो सकते हैं। जिस प्रकार लड़कियों के साथ हो रहे भेदभाव को दूर करने व उनकी शिक्षा हेतु कई प्रकार की मुहिम चलाई गई एवं प्रयास किए गए व किए जा रहे हैं, उसी प्रकार ट्रांसजेंडर्स के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त कर इन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए मुहिम चलाने की आवश्यकता है। शिक्षा में इनके समावेशन द्वारा ही मानबी बंदोपाध्याय, कल्कि, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जैसी छवि बन पाएगी, अन्यथा ट्रांसजेंडर्स की वही परंपरागत नाचने-गाने व माँगने वाली छवि तथा स्थिति बनी रहेगी। इस लेख के माध्यम से ट्रांसजेंडर्स की शिक्षा में आने वाली समस्याओं को पहचान कर उन्हें समझने का प्रयास किया गया है, परंतु इस लेख का उद्देश्य तब तक अपूर्ण रहेगा, जब तक इन समस्याओं के समाधान हेतु कार्य कर शिक्षा की मुख्यधारा में ट्रांसजेंडर्स का समोवशन नहीं होता।

© NCERT not to be republished

संदर्भ

इंडिया टुडे. 4 जुलाई, 2018. 8 इंडियन ट्रांसजेंडर पीपल हू वेयर द फ़र्स्ट इन देयर फ़ील्ड. https://www.indiatoday.in/education-today/gk-current-affairs/story/list-of-transgenders-firsts-who-made-it-big-in-their-fields-1276415-2018-07-03 से लिया गया है.

कृष्णन, मुरली. 2017. *इंडियाज़ फ़र्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल ओपेंस, बट डिस्क्रिपशन रिमेंस*. https://www.dw.com/en/indias-first-transgender-school-opens-but-discrimination-remains/a-36986873 से लिया गया है.

चंद्र, सतीश. 2017. ट्रांसजेंडर चिल्ड्रेंस एजुकेशन एंड देयर रिइंगेजमेंट इन सोसाइटी. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च स्टडीज़*. वॉल्यूम II, पृष्ठ 875–890. https://www.researchgate.net/publication/321244767_TRANSGENDER_CHILDREN'SEDUCATION_AND_THEIR_REENGAGEMENT_IN_SOCIETY से लिया गया है.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया. 15 फ़रवरी, 2015. इंश्योर ट्रांसजेंडर्स फ़ील एट होम. यू.जी.सी. टू यूनिवर्सिटीज़. https://timesofindia.indiatimes.com/home/education/news/Ensure-transgenders-feel-at-home-UGC-to-universities/articleshow/46248552.cms से लिया गया है.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया. 30 मई, 2014. फ़र्स्ट काउंट ऑफ़ थर्ड जेंडर सेंसस 4.9 लाख. https://timesofindia.indiatimes.com/india/First-count-of-third-gender-in-census-4-9-lakh/articleshow/35741613.cms से लिया गया है.

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. 2017. *स्टडी ऑन ह्यूमन राइट्स ऑफ़ ट्रांसजेंडर एज़ ए थर्ड जेंडर*. केरला डेवलपमेंट सोसाइटी. नयी दिल्ली. http://nhrc.nic.in/sites/default/files/Study_HR_transgender_03082018.pdf से लिया गया है.

मिनीस्ट्री ऑफ़ सोशल जस्टिस एंड वेलफ़ेयर. द ट्रांसजेंडर पर्संस (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट) बिल, 2019. नयी दिल्ली. http://www.prsindia.org/billtrack/transgender-persons-protection-rights-bill-2019 से लिया गया.

यू.जी.सी. नोटिस. *इन्क्लुज़न ऑफ़ ट्रांसजेंडर एज़ थर्ड जेंडर अंडर द वेरियस स्कॉलरशिप/ फ़ेलोशिप*. https://www.ugc.ac.in/pdfnews/9200827_2.pdf से लिया गया है.

सिन्हा, आर. 2018. द ट्रांसजेंडर पर्संस (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स) बिल, 2016— कंपेरिज़न ऑफ़ द 2016 बिल विद 2018 अमेंडमेंट्स. *पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च*. नयी दिल्ली. https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Note%20on%20Amendment%20-%20Transgender%20Bill%20-For%20Upload.pdf से लिया गया है.

© NCERT not to be republished